न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 03.01.2019

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा आई ई सुखेर, एन एच 8, इंडस्ट्रीयल स्टेट सुखेर जिला उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री श्याम माधव पोलीबैग्स प्रा. लि. पताः– 109, प्रथम मंजिल, श्रीनाथ प्लाजा, उदयपुर द्वितीय पताः– ए–3 (भाग प्रथम एवं द्वितीय), ब्लॉक ए, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया, मुडा गल्फरोशन, रिको के पास, निम्बाहेड़ा तृतीय पताः– खसरा नं. 578, 8131/577, गांव लदाना राज फिड ऑयल फैक्ट्री के पास, पटवार मण्डल बांसी कला, तहसील मावली, उदयपुर
2–श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री राजीव सिंह चौहान पताः– 104, भवन सं. 1, लैण्डमार्क ट्रैजर टॉउन बड़गांव, उदयपुर
3–श्रीमती कविता चौहान पत्नि श्री अजय सिंह चौहान पताः– 104, भवन सं. 1, लैण्डमार्क ट्रैजर टॉउन बड़गांव, उदयपुर

–अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते

उपस्थिति : 1– श्री विजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 05.03.2019

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नकद ऋण राशि रूपये 275.00 लाख, अवधि ऋण–I रूपये 171.35 लाख, अवधि ऋण–II रूपये 1053.00 लाख एवं एडोक नकद ऋण रूपये 200.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 1699.35 लाख रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण ने दिनांक 19.02.2019 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

निदेशक श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री राजीव सिंह चौहान (भाग-2) एवं श्रीमती कविता चौहान पत्नि श्री अजय सिंह चौहान (भाग-1) के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 74, 95, 1228/96, भूखण्ड सं. ए-3, भाग-1 एवं भाग-2, ब्लॉक-ए, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, गांव मंडा गल्फरोशन, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका भूमि क्षेत्रफल 3075 वर्ग फीट (भाग-2) एवं 6200 वर्ग फीट (भाग-1) है जिसकी चारों ओर की सीमाएं निम्न है:-

पूर्व में :-	**सड़क 18 मीटर चौड़ी**	**पश्चिम में :-**	**कृषि भूमि खसरा नं. 93**
उत्तर में :-	**भूखण्ड सं. ए-4**	**दक्षिण में :-**	**भूखण्ड सं. ए-2**

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 28.06.2018 तक राशि रूपये 16,51,27,897.86/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि उन्हें 3 माह का समय प्रदान किया जावे ताकि वे खुद अपनी सम्पत्ति बेचकर बैंक का ऋण अदा कर सके।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
चित्तौड़गढ़ (राज.)